भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 3167
गुरुवार, 6 अगस्त, 2026/15 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमान दुर्घटनाएं और तकनीकी कमियाँ

3167. श्री श्यामकुमार दौलत बर्वेः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान विमान दुर्घटनाओं, गंभीर तकनीकी खामियों और सुरक्षा उल्लंघनों की संख्या में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा जारी पूर्व सुरक्षा परामर्शों, निर्देशों अथवा संपरीक्षा टिप्पणियों का उक्त किसी भी घटना में निर्धारित समय के भीतर अनुपालन नहीं किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे अनुपालन न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या ऐसी घटनाओं के संबंध में किसी एयरलाइन, रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) संगठन या विमान विनिर्माता के विरुद्ध कोई दंडात्मक या विनियामक कार्रवाई की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ग): पिछले पांच वर्षों के दौरान नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा दर्ज की गयी विमान दुर्घटनाओं, गंभीर तकनीकी खामियों और सुरक्षा उल्लंघनों का विवरण अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

डीजीसीए ने सुरक्षित विमान परिचालन सुनिश्चित करने के लिए नागर विमानन अपेक्षाएं (सीएआर), सुरक्षा परामर्श, निर्देश और अन्य विनियामक अनुदेश निर्धारित किए हैं। अनुपालन की निगरानी के लिए, डीजीसीए के पास एक व्यवस्थित सुरक्षा पर्यवेक्षण तंत्र है, जिसमें सभी विमान और हवाईअड्डा प्रचालकों को शामिल किया गया है। सुरक्षा पर्यवेक्षण प्रक्रिया में विनियामक संपरीक्षा, रात्रि निगरानी, रैंप निरीक्षण, स्पॉट चेक और विशेष संपरीक्षा शामिल हैं। डीजीसीए अपनी वेबसाइट पर वार्षिक निगरानी योजना (एएसपी) प्रकाशित करता है। संपरीक्षाओं, निगरानी और स्पॉट चेक के निष्कर्षों के अनुपालन के लिए संबंधित प्रचालक के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

इसके अलावा, प्रचालक द्वारा कृत कार्रवाई संबंधी अनुपालन की पुष्टि अगली संपरीक्षा/निगरानी के दौरान की जाती है। संपरीक्षा/निगरानी के दौरान विनियमों का कोई उल्लंघन या अनुपालन न होना पाए जाने पर, डीजीसीए द्वारा वित्तीय जुर्माना लगाने सहित प्रवर्तन कार्रवाई की जाती है।

अनुलग्नक

(i) पिछले पांच वर्षों में भारतीय अनुसूचित एयरलाइनों के विमानों से जुड़ी दुर्घटनाओं की संख्या निम्नानुसार है:-

वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या
2021	04
2022	01
2023	00
2024	00
2025	01

(ii) वर्ष 2021 से 2025 तक उड़ान परिचालनों के दौरान रिपोर्ट और दर्ज की गई गंभीर तकनीकी खामियों की संख्या निम्नानुसार है:-

वर्ष	महत्वपूर्ण खामियों की संख्या
2021	514
2022	528
2023	487
2024	692
2025	889

(iii) वर्ष 2021 से 2025 तक एयरलाइनों और एमआरओ द्वारा किए गए सुरक्षा उल्लंघनों की संख्या, जिन पर नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा प्रवर्तन कार्रवाई की गयी, निम्नानुसार है:-

वर्ष	सुरक्षा उल्लंघनों की संख्या
2021	1
2022	7
2023	24
2024	31
2025	42
